कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आगरा।

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
आगरा।

सेवा में,

1– प्रधानाचार्य सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा।
2– मण्डलीय अपर निदेशक एवं प्रमुख निदेशक जिला चिकित्सालय आगरा।
3– अध्यक्ष/सचिव इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, आगरा।

पत्रांक– मु0चि0अ/Covid-19/SARI Patient/Sample/2020 2757 दिनांक 21.03.2020

विषय :– शहर के सरकारी एवं निजी चिकित्सालयों में SARI मरीजों का कोविड–19 की जांच एवं सैम्पल लिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विष्यक में आपकों अवगत कराना है की देश में कोरोना वायरस के गंभीर स्थिति को देखते हुए भारत सरकार एवं आई0सी0एम0आर0 से प्राप्त गाइडलाइन्स के अनुपालन में शहर के सरकारी एवं निजी चिकित्सालयों में भर्ती होने वाले SARI/ARI मरीजों (जो कि कोरोना वायरस के सम्भावित संक्रमित स्रोत हो सकते है) की भी कोविड–19 की जांच के लिये सैम्पल लिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

उक्त के सम्बन्ध में प्रत्येक दिन सभी सरकारी एवं निजी चिकित्सालय अपने यहां भर्ती होने वाले SARI/ARI मरीजों की संख्या एवं SARI/ARI से मृत्यु होने वाले मरीजो की संख्या प्रत्येक दिन शाम 05:00 बजे तक संलग्न प्रारूप पर नीचे उल्लेखित ई–मेल आइ0डी एवं वाट्सअप ग्रुप पर देना सुनिश्चित करेंगे।

सरकारी एवं निजी चिकित्सालयों में भर्ती SARI/ARI मरीजों के कोविड–19 की जांच के लिये निम्नलिखित बिन्दुवार आदेश निर्गत किये जाते है।

1– अस्पतालों में भर्ती मरीज SARI/ARI मरीजों की जांच व सैम्पल कलेक्शन के लिये अलग से एक एम्बुलेंस मय स्टाफ हमेशा डयूटी पर रहेगी। जिसका सर्म्पक सुत्र कोरोना कंट्रोल रूम से प्राप्त किया जा सकता है।

2– किसी भी अस्पताल में अत्यंत गम्भीर/वेंटीलेटर पर ईलाज पा रहे मरीजों का सैम्पल उसी अस्पताल में पूर्ण सावधानी के साथ प्रशिक्षित स्टाफ के द्वारा संग्रहीत किया जाएगा।

3– किसी भी अस्पताल में SARI/ARI के सामान्य या कम गम्भीर मरीजों को ड्यूटी पर उपस्थित एम्बुलेंस के द्वारा जिला चिकित्सालय आगरा में संचालित कोविड–19 सैम्पल कलैक्शन सेन्टर (कमरा नं0–53) में ले जा कर वहां उनका सैम्पल दिलवाकर उनको वापस उसी अस्पताल में छोड़ दिया जाएगा।

4– किसी भी अस्पताल में SARI/ARI के मरीजों के सैम्पल जिला अस्पताल में दोपहर 12:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक लिया जाएगा।

5– जिला अस्पताल आगरा में किसी अस्पताल से एम्बुलेंस के द्वारा लाये गए SARI/ARI के मरीजों का सैम्पल कलैक्शन उनको बिना इंतजार कराये प्राथमिकता के आधार पर विशेष वरीयता देते हुए किया जाएगा। जिससे मरीज ससमय वापस अपने अस्पताल पहुंचकर अपना ईलाज जारी रख सके।

6– मरीजों के सैम्पल कलैक्शन के लिये सरकारी व निजी चिकित्सालय के कुछ स्टाफ/टैकनिशियन को शीघ्र ही जिला चिकित्सालय आगरा में विशेष प्रशिक्षण दिया जाऐगा व तब तक उपलब्ध मानव संसाधन के द्वारा ही सैम्पल कलैक्शन सुनिश्चित किया जाएगा।

Scanned with CamScanner

7– जिलाधिकारी आगरा के आदेशो के अनुपालन में ड्यूटी पर उपलब्ध एम्बुलेंस के चालक व टेक्निशियन को पी0पी0ई0 व अन्य सुरक्षा संसाधन जिला चिकित्सालय आगरा/मुख्य चिकित्सा अधिकारी आगरा कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाऐगा।

8– सरकारी व निजी चिकित्सालय के SARI/ARI के मरीजों के सैम्पल के साथ आने वाले फॉर्म का पूर्ण विवरण अलग से सुरक्षित रखा जाए, व प्रत्येक दिन उसकी सूचना शाम को कोरोना कंट्रोल रूम में प्रषित की जायेगी।

9– इंडियन मेडिकल एसोसियशन आगरा के पदाधिकारी उपरोक्त सैम्पल कलैक्शन में सभी निजी चिकित्सालयों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करने में सहायता करेंगे।

आप सभी से अनुरोध है कि कोविड–19 के कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकने के लिये उपरोक्त दिशा–निर्देशों का अनुपालन विशेष प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाए। उक्त के संदर्भ में किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर कोरोना कंट्रोल रूम के दुरभाष संख्या 0562–2600508 या 0562–2600512 पर सम्पर्क कर सलाह ली जा सकती हैं।

संल्गन– यथोचित।

धन्यवाद

भवदीय

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
आगरा।

पत्रांक– मु0चि0अ/Covid-19/SARI Patient/Sample/2020 2757 दिनांक 21.03.2020

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. प्रमुख सचिव चिकित्सा एव स्वास्थ्य परिवार कल्याण उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 लखनऊ।
3. स्टॉफ आफिसर, महानिदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय लखनऊ।
4. निदेशक (संचारी) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 लखनऊ।
5. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आगरा मण्डल आगरा।
6. जिलाधिकारी, आगरा।
7. स्टेट सर्विलांस ऑफिसर (संचारी रोग – कोविड–19) स्वास्थ्य एवं महानिदेशालय लखनऊ।
8. प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय आगरा को इस आशय के साथ के सरकारी व निजी चिकित्सालयों में भर्ती SARI/ARI के मरीजों के सैम्पल संग्रहण व जांच की पूर्ण व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर करते हुए सम्बन्धित लोगों को दिशा–निर्देश जारी करने का कष्ट करें।
9. श्रीमान राजीव मैनेजर, 108 एम्बुलेंस आगरा, को इस आशय के साथ की सरकारी व निजी चिकित्सालयों में भर्ती SARI/ARI के मरीजों के सैम्पल संग्रहण के लिये एक प्रथक एम्बुलेंस मय चालक व अस्सीसटेन्ट तत्काल उपलब्ध कराकर उसका विवरण अधौहस्ताक्षरी कार्यालय में आज ही उपलब्ध कराया जाए।
10. डा0 आरती (प्रवक्ता) माइक्रोबायोलोजिस्ट एस0एन0 मेडिकल कॉलेज आगरा इस आशय के साथ की वह सरकारी व निजी चिकित्सालयों में भर्ती SARI/ARI के मरीजों के सैम्पल संग्रहण की प्रक्रिया को संचालित करें व अन्य स्टाफ को भी प्रशिक्षित करना भी सुनिश्चित करें।

भवदीय

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
आगरा।

Scanned with CamScanner